



6/6/18

पञ्जाबली राज "भाष आरुके हार" केरु सवारकोली मे कुरा उरु/पञ्जाबली

पर उपलब्ध पत्रादेश का अवगोचन
किया गया/प्राप्त हुए अध्यापिका
के विरुद्ध अक्षरार्थ निषेधाज्ञा दिनांक
21/11/17 के लगे हैं। फलतः अध्यापिका
गण की हानि जायदा में पायी किन्तु
वकील कर ली गई है। इसलिए अध्यापिका
के अक्षरार्थ निषेधाज्ञा से पाबन्द किया
जाना - भाष संगत नहीं है अतः प्राप्ति
प्राप्ति पर खारिज किया जाता है। पञ्जाबली
केवल शुभानु हेतु कार्रवाई करता है।
निर्णय से इजलास किन्ति सवारकोली
में हुनामा 21/11/17

32

सहायक कलेक्टर
उदियागा